लेखा-योग

१२४· विअविअ विधेयक २००६ – भाग ३ अप्रैल – ०६/ रा· चैत्र १९२८; फरवरी– ०७ में प्रकाशित

इस अङ्क में

जन-सेवी संस्थाओं को प्रभावित करने वाले परिवर्तन (गताङ्क से) १

१२. पञ्जीकरण का खारिज होना १

१३. प्रशासन सम्बन्धी व्यय के लिए पचास प्रतिशत २

१४. शासी-निकाय में परिवर्तन ३

१५ बैंकों से प्रतिवेदन ३

१६· विदेशी अभिदाय के उपयोग का अभिलेख ४

लेखा-योग के अंक १२३ से आगे…

जन-सेवी संस्थाओं को प्रभावित करने वाले परिवर्तन (गताङ्क से)

१२. पञ्जीकरण का खारिज होना

वर्तमान विअविअ[१] (१९७६) में विअविअ पञ्जीकरण को खारिज (cancel) करने के लिए कोई औपचारिक प्रावधान नहीं है। किन्तु, किसी भी जन-सेवी संस्था को विदेशी अभिदाय[२] स्वीकार करने के लिए पूर्वानुमति लेने या प्रतिबन्ध लगाने के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। हालाँकि, व्यावहारिक रूप में इस प्रक्रिया का प्रभाव भी विअविअ पञ्जीकरण को खारिज करने के समान ही होता है।

नए विअविअ विधेयक में विअविअ पञ्जीकरण को खारिज करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसके लिए स्पष्ट कारणों[३] का भी उल्लेख किया गया

है। विअविअ पञ्जीकरण के एक बार खारिज हो जाने की स्थिति में इसका नवीनीकरण कम से कम तीन वर्षों के लिए नहीं कराया जा सकेगा।

प्रमाण-पत्र खारिज होने के समय जन-सेवी संस्था के पास उपलब्ध धनराशि तथा सम्पत्ति (assets) का क्या होगा ? यह धनराशि तथा सम्पत्ति सरकार के संरक्षण (custody) में आ जाएगी। फिर सरकार ही इस धनराशि[४] का प्रबन्धन करेगी। बाद में यदि उस

---

[१] विअविअ – विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, १९७६ [Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976]

[२] विअविअ १९७६ की धारा १०।

[३] *Cancellation of certificate.* 14. (1) The Central Government may, if it is satisfied after making such inquiry as it may deem fit, by an order, cancel the certificate if -

(a) the holder of the certificate has made a statement in, or in relation to, the application for the grant of registration or renewal thereof, which is incorrect or false; or

(b) the holder of the certificate has violated any of the terms and conditions of the certificate or renewal thereof; or

(c) in the opinion of the Central Government, it is necessary in the public interest to cancel the certificate; or

(d) the holder of certificate has violated any of the provisions of this Act or rules or order made thereunder….

(3) Any person whose certificate has been cancelled under this section shall not be eligible for registration or grant of prior permission for a period of three years from the date of cancellation of such certificate.

[४] *Management of foreign contribution of person whose certificate has been cancelled.* 15. (1) The foreign contribution and assets

जन-सेवी संस्था का पुनः पञ्जीकरण होता है तो सरकार को उसकी शेष धनराशि तथा सम्पत्ति[५] लौटानी होगी।

१३. प्रशासन सम्बन्धी व्यय के लिए पचास प्रतिशत

यह विअविअ विधेयक २००६ की एक खास बात है। जन-सेवी संस्थाओं से आशा है कि वह विदेशी अभिदाय की ५०% से अधिक धनराशि प्रशासन[६] पर व्यय नहीं करेंगी। व्यय ५०% से अधिक होने की स्थिति में सरकार की अनुमति अनिवार्य है।

---

created out of the foreign contribution in the custody of every person whose certificate has been cancelled under section 14 shall vest in such authority as may be prescribed.

(2) The authority referred to in sub-section (1) may, if it considers necessary and in public interest, manage the activities of the person referred to in that sub-section for such period and in such manner, as the Central Government may direct and such authority may utilize the foreign contribution or dispose of the assets created of it in case adequate funds are not available for running such activity.

[५] विअविअ विधेयक २००६ की धारा १५(३)।

[६] *Restriction to utilize foreign contribution for administrative purpose.* 8. (1) Every person, who is registered and granted a certificate or given prior permission under this Act and receives any foreign contribution, -

(a) shall utilise such contribution for the purposes for which the contribution has been received;

Provided that any foreign contribution or any income arising out of it shall not be used for speculative business;

(b) shall not defray as far as possible such sum, not exceeding fifty per cent of such contribution, received in a financial year, to meet administrative expenses.

Provided that administrative expenses exceeding fifty per cent of such contribution may be defrayed with prior approval of the Central Government.

आप प्रशासनिक व्यय का आकलन कैसे करेंगे ? सरकार इसके सम्बन्ध[७] में नियम भी तैयार करेगी।

सरकार इस प्रकार की जटिलताओं में क्यों फँसना चाहती है ?

सम्भवतः विअविअ विभाग नए एफ सी-३ (FC-3) प्रतिवेदन में जन-सेवी संस्थाओं के द्वारा बताए गए उच्च प्रशासनिक व्यय के प्रति चिंतित है। हालाँकि, किसी को भी यह जानकारी नहीं है कि जन-सेवी संस्थाएँ अपने प्रशासन पर वास्तविकता में कितना व्यय करती हैं। यह स्थिति किसी व्यय को कार्यात्मकता (प्रशासन, कार्यक्रम, धन-इकट्ठा करना, आदि) के आधार पर न बाँटकर, नियत लेखांकन शीर्षकों में बाँटने के कारण भी उत्पन्न हुई है। इस प्रकार के प्रतिबंधित नियम से सम्भवतः नवीन लेखांकन पद्धति का जन्म होगा जो कि लेखा-परीक्षकों के लिए एक नया सरदर्द बनेगा।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस प्रस्ताव के अनुसार सरकार उन मदों को निर्धारित करेगी, जिन्हें प्रशासनिक व्यय में सम्मिलित करना है। यह सरकार तथा जन-सेवी संस्थाओं[८] के बीच गहरे मतभेद का विषय बन सकता है।

उदाहरणार्थ, सरकार यह कह सकती है कि सभी वेतन तथा परामर्श शुल्क प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत आएँगे। यदि कोई जन-सेवी संस्था शिक्षा तथा वकालत (एडवोकेसी) कार्यक्रम में लिप्त है तो उसके अधिकांश व्यय वेतन से सम्बन्धित होंगे। इस परिस्थिति में जन-सेवी संस्था को वेतन भुगतान करने में अत्यधिक कठिनाई होगी।

---

[७] Section 8 (2) The Central Government may prescribe the elements which shall be included in the administrative expenses and the manner in which the administrative expenses referred to in sub-section (1) shall be calculated.

यह प्रावधान सभी प्रकार के अनैतिक आर्थिक व्यवहारों को बढ़ावा दे सकता है, उदाहरणार्थ- सामग्री तथा प्रत्यक्ष कार्यक्रमों के लिए बढ़े मूल्य के बीजक (bills) लगाना, आदि। इसका नतीजा जन-सेवी संस्थाओं के बीच प्रचलित नैतिक-लेखांकन के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है।

अतः यदि इस प्रावधान का क्रियान्वयन सहजतापूर्वक करना है तो विअविअ विभाग को काफी समझदारी एवं मुलायमियत से पेश आना होगा। परन्तु, ऐसा सभी प्रशासनों में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, अतः इस प्रावधान पर सरकार को पुर्नविचार करना चाहिए।

१४. शासी-निकाय में परिवर्तन

वर्ष १९९६ में विअविअ विभाग ने प्रारूप एफ सी-८ (Form FC-8) में संशोधन किया था। इसके अनुसार, यदि शासी-निकाय में ५०% सदस्यों का परिवर्तन हो जाए तो इस पञ्जीकरण को निष्क्रिय

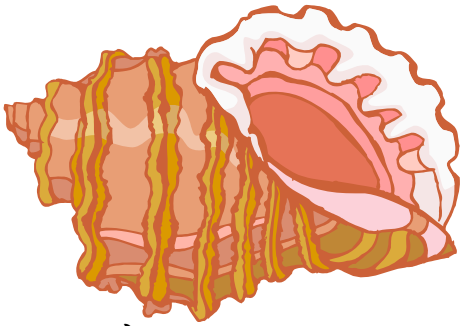

माना जाता है। यह पञ्जीकरण तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक विअविअ विभाग नए सदस्यों के बारे में संतुष्ट नहीं हो जाता। यह विअविअ पञ्जीकृत जन-सेवी संस्थाओं के विक्रय के प्रति सुरक्षा कवच की तरह है।

परन्तु, इस परिवर्तन से बहुत सी जन-सेवी संस्थाओं में भ्रम उत्पन्न हो गया। कुछ जन-सेवी संस्थाएँ तो चुनाव कराने से ही कतराने लगी हैं।

नए विअविअ विधेयक में इस प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस छूट का क्या कारण हो सकता है ? यदि सरकार प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद विअविअ पञ्जीकरण की पुनः जाँच करती है तो, जन-सेवी संस्थाओं के विक्रय पर सरलता से अंकुश लगाया जा सकेगा। अतः नए विधेयक में इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने वाली शर्त की आवश्यकता नहीं रह गई है।

१५. बैंकों से प्रतिवेदन

वर्तमान विअविअ १९७६, के अन्तर्गत बैंकों से जन-सेवी संस्थाओं के विअविअ बैंक खाते में जमा की गई विदेशी अभिदाय राशि की समय-समय पर (periodic) जानकारी माँगी जाती है। यह भूमिका अब नए विअविअ[८] के अन्तर्गत औपचारिक हो जाएगी।

बैंकों को अब विधिवत् रूप से विअविअ विभाग को यह विवरण भेजना होगा। इस विवरण में विस्तृत रूप से अभिदाय की प्राप्ति एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ देनी होंगी। इसके लिए विस्तृत प्रारूप इसकी नियमावली[९] में दिये जाएँगे।

इसके अतिरिक्त, जन-सेवी संस्थाओं को अपने विअविअ बैंक खाते के विवरण की प्रमाणित प्रतिलिपि को वार्षिक विवरण (वर्तमान में प्रारूप एफ सी-३) के

---

[८] *Foreign contribution through scheduled bank.* 17. (1) Every person who has been granted a certificate or given prior permission under section 12 shall receive foreign contribution in a single account only through such one of the branches of a bank as he may specify in his application for grant of certificate:

Provided that such person may open one or more accounts in one or more banks for utilising the foreign contribution received by him:

Provided further that no funds other than foreign contribution shall be received or deposited in such account or accounts.

(2) Every bank or authorized person in foreign exchange shall report to such authority as may be specified –

(a) the amount of foreign remittance;

(b) the source and manner in which the foreign remittance was received; and

(c) other particulars,

in such form and manner as may be prescribed.

[९] विअविअ विधेयक २००६ की धारा ४८(२)(q)।

साथ संलग्न कर भेजने होंगे। इस प्रतिलिपि को बैंक[१०] द्वारा सत्यापित भी करवाना होगा।

प्रत्येक जन-सेवी संस्था को अब भी विदेशी स्रोतों से आनेवाली सारी धनराशि को विआविअ पञ्जीकृत बैंक खाते में ही प्राप्त करना होगा। हालाँकि, एक बड़ी राहत यह है कि जन-सेवी संस्थाएँ विदेशी अभिदाय[११]

के उपयोग हेतु बैंकों में कई दूसरे खातों को खोल सकेंगी।

१६· विदेशी अभिदाय के उपयोग का अभिलेख

वर्तमान समय में विआविअ के अन्तर्गत पञ्जीकृत सभी संस्थाओं को अलग लेखा-बही रखनी होती है। यदि विदेशी अभिदाय वस्तु के रूप में प्राप्त किया जाता है तो उन संस्थाओं को प्रारूप एफसी-६ (Form FC-6) के रूप में एक रजिस्टर भी रखना होता है।

विआविअ विधेयक[१२] में एक अभिलेख (record) के बारे में बताया गया है जिसमें यह दिखाना आवश्यक है कि जन-सेवी संस्था को कितना विदेशी अभिदाय मिला है तथा इसका उपयोग किस प्रकार किया गया है। ऐसा लगता है कि इस प्रावधान में पैसे के साथ-साथ वस्तु के रूप में प्राप्त विदेशी अभिदाय को भी सम्मिलित करना पड़ेगा। हालाँकि जब इससे सम्बन्धित नियम तैयार किए जाएँगे तो शायद इसके बारे में और अधिक स्पष्टता होगी।

लेखा-योग के अंक संख्या १२५ में क्रमशः...

---

[१०] विआविअ विधेयक २००६ की धारा १८(२)।

[११] लेखा-योग के अंक संख्या १२२ में अलग से चर्चा की गई है।

[१२] *Maintenance of accounts.* 19. Every person who has been granted a certificate or given prior approval under this Act shall maintain, in such form and manner as may be prescribed, -

(a) an account of any foreign contribution received by him; and

(b) a record as to the manner in which such contribution has been utilised by him.

लेखा·योग क्या है – 'मानक हिन्दी कोश' के अनुसार योग के कम से कम ४० अर्थ होते हैं। गणित में योग का अर्थ है दो संख्याओं को जोड़ना। आध्यात्मिक रूप से योग का अर्थ तपस्या अथवा साधना होता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने निष्काम कर्म को योग बताया है। लेखा कर्म में यह तीनों भाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यदि लेखाकार लेखा लिखने और योग लगाने में योगफल की चिन्ता न करें तो अवश्य ही संस्थाओं के लेखा-जोखा में सुधार होगा। लेखा·योग का यही उद्देश्य है।

लेखा·योग हर माह प्रकाशित होता है। इसमें जन-सेवी संस्थाओं के नियमन व लेखा प्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की जाती है। यह विभिन्न जन-सेवी संस्थाओं, दातव्य संस्थाओं, व अङ्केक्षण प्रतिष्ठानों (ऑडिट फर्म) में लगभग ३५०० व्यक्तियों को भेजा जाता है। लेखा·योग के प्रत्युत्पादन (reproduction) या पुनर्वितरण (re-distribution) को अकाउण्टएड इण्डिया प्रोत्साहित करता है यदि ऐसा अव्यवसायिक उद्देश्य से किया जाए एवं इनके स्रोत को अभिस्वीकार किया जाए।

विधि-व्याख्या – यहाँ पर उल्लेखित विधि की व्याख्या साधारण जानकारी हेतु की गयी है। अतः निवेदन है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अपने परामर्शदाताओं से सम्मति ले लें।

लेखा·योग का वाभ-स्वरूप – लेखा·योग के सभी पुराने अङ्कों के आँग्ल संस्करण (AccountAble) हमारे वाभ-स्थल www.AccountAid.net पर उपलब्ध हैं। कुछ लेखा·योग के अङ्कों तथा इस अंक का वाभस्वरूप भी वहीं उपलब्ध है।

आँग्ल भाषा में लेखा·योग – This issue of Lekha·Yog is available in English as AccountAble.

अकाउण्टएड पुड़िया (capsule) – जनसेवी संस्थाओं के लेखाङ्कन एवं इससे सम्बन्धित विषयों पर लघु जानकारी अकाउण्टएड पुड़िया में दी जाती है। इसे प्राप्त करने के लिए accountaid-subscribe@topica.com पर ई-प्रेष करें।

पत्राचार – आपके प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। हमारा पता है – अकाउण्टएड इण्डिया, ५५-बी, खण्ड सी, सिद्धार्थ विस्तार, नई दिल्ली-११० ०१४; दूरभाष – ०११-२६३४ ३१२८; दूरभाष/ प्रतिरूप प्रेषिका – २६३४ ६०४१; ई-प्रेष – accountaid@vsnl.com; accountaid@gmail.com.

© AccountAid™ India विक्रम संवत् २०६३ फाल्गुन; फरवरी २००७ ईस्वी।

tRS,AB/rAB,RS/sAB/fAB/cpSA